न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 101/2022 तारीख दायर :—28.01.2022 दिनांक निर्णय :—17.02.2022

2022
3

सरकार जरिये पटवारी हल्का पलवा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

गोपाल पुत्र श्री कजोड़ जाति मीना निवासी डाबला मीना तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पलवा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल गोपाल पुत्र श्री कजोड़ जाति मीना निवासी डाबला मीना तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा ग्राम डाबला मेव की चारागाह भूमि के आ0ख0न0 347/0.37 व 348 /0.35 में से रकबा क्रमश 0.07 हे0 व 0.05 है0 कुल रकबा 0.12 हे0 भूमि पर फसल रबी सम्वत् 2078 मे चने की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल गोपाल पुत्र श्री कजोड़ जाति मीना की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र शर्मा व एल.एन. माथुर एडवाकेट ने उपस्थित होकर गैरसायल की ओर से वकालतनामा व नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें गैरसायल अतिक्रमी गोपाल द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं करना व चने की फसल नहीं बोया जाना अपने जवाब में अंकित किया है। जवाब के सम्बंध में गिरदावर व पटवारी हल्का पलवा की मौका जॉच रिपोर्ट ली गई, जॉच रिपोर्ट दिनांक 16.02.2022 के अनुसार अतिक्रमी द्वारा चने की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ था। जिसको पटवारी हल्का द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 28.01.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात अतिक्रमी द्वारा जोत लगाकर मौके पर नष्ट किया जाना पाया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि धारा 91 की रिपोर्ट दिनांक 28.01.2022 को प्रस्तुत की गई वह मौके अनुसार सही की गई थी। धारा 91 की रिपोर्ट के सम्बंध में पटवारी हल्का पलवा के बयान दर्ज किये गये। जिसने अपने बयान में कथन किया है कि अतिक्रमी द्वारा पूर्व में भी फसल खरीफ सम्वत् 2077 में अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को दिनांक 09.02.2021 को बेदखल किया जा चुका है। इस प्रकार अतिक्रमी पश्चात्वृति अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

तहसीलदार

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की पश्चात्वृति रिपोर्ट व मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 02.2022 व बयानात, व दैनिक डायरी घटना बही दिनांक 09.06.2021 में भी पूर्व में उक्त आराजी से अतिक्रमी को बेदखल किया जाना साबित होने से अतिक्रमी का बार–बार राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करना साबित होता है। गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पश्चात्वृति अतिक्रमी होने से अतिचारी को तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दण्ड़ित किया जाना विधि अनुरूप उचित समझते है। साथ ही शरह लगान की 1.00 की 50 गुणा राशि 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ व पटवारी हल्का पलवा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक की मौका जॉच रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी द्वारा उक्त चने फसल को जोत लगाकर नष्ट किया जाना पाया गया है। फसल नीलामी योग्य नहीं पाये जाने पर बेदखली के आदेश दिये जाते है। एस.एच. ओ. राजगढ़ को गिरफ्तारी वांरट जारी हो।

आज दिनांक 17.02.2022 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ़
जिला अलवर

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

र. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 19 पर क्र. 97 50/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार